अति महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–935/ नौ–9–2015–101ज / 14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त,2015

विषयः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग(पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय)उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के कार्यवाही ज्ञापन में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,वित्त के पत्र संख्या–2 / 2015 / एफ0सी0186 / दस–2015–06 / 2015, दिनांक 25 अगस्त,2015 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग(पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय),उ0प्र0 की संस्तुतियॉं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1 / 2015 / एफ0सी0– 88 / दस–2015–06 / 2015,दिनांक 31 मार्च,2015 द्वारा लागू की गयीं। आयोग की संस्तुति संख्या–53 (शहरी निकायों की तीन श्रेणियों के मध्य आवंटन) एवं 55 (आडिट अनुशासन के लिये दस प्रतिशत अंतरण रोकना) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या–53 के अन्तर्गत शहरी निकायों को अन्तरित होने वाले भाग में से नगर निगमों,नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को कमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अंश अन्तरित किया जाय।

(2) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या–55 के अन्तर्गत नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में आडिट अनुशासन के लिये 10 प्रतिशत अन्तरण की धनराशि रोकने के स्थान पर 05 प्रशित अन्तरण की धनराशि रोकी जाय। संस्तुति में दी गयी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

(3) उक्त संशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–2016 से लागू होंगे।

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2015 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

25/8/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Spgo-2

उत्तर प्रदेश

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

(पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय)

की

संस्तुतियों (संस्तुति संख्या-53 एवं 55)

पर राज्य सरकार

का

संशोधित कार्यवाही-ज्ञापन

वित्त विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त विभाग

विषय :–चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार का संशोधित कार्यवाही ज्ञापन ।

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों के अनुच्छेद 243(आई) तथा 243(वाई) में इंगित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु उत्तर प्रदेश में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उ0प्र0 का गठन दिसम्बर, 2011 में श्री अतुल कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में किया गया चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट, दिसम्बर, 2014 में राज्य सरकार को प्राप्त हुई । चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को, संस्तुतियों पर राज्य सरकार के कार्यवाही–ज्ञापन सहित, विधान मंडल के दोनों सदनों में मार्च, 2015 में प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् आयोग की संस्तुतियॉ 01 अप्रैल, 2015 से लागू की गयी । चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या–53 एवं 55 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में लिये गये निर्णय को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है ।

संस्तुति संख्या	आयोग की संस्तुति	राज्य सरकार का निर्णय
53	**शहरी निकायों की तीन श्रेणियों के मध्य आवंटन** शहरी निकायों की तीन श्रेणियों के मध्य आवंटन हेतु जनसंख्या तथा क्षेत्रफल, दोनों को ही संज्ञान में लेने के लिए जनसंख्या को 90 प्रतिशत भार तथा क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत भार देते हुये, नगर निगमों का अंश 42 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों का अंश 38 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों का अंश 20 प्रतिशत आता है। अतः शहरी निकायों को अंतरित होने वाले भाग में से 42 प्रतिशत भाग 14 नगर निगमों, 38 प्रतिशत भाग 193 नगर पालिका परिषदों तथा 20 प्रतिशत भाग 423 नगर पंचयतों के मध्य बांटा जाये। (प्रस्तर 10.7.3)	पूर्व में शहरी निकायों को अन्तरित होने वाले भाग में से नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को क्रमशः 35 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत अंश अन्तरित करने का निर्णय लिया गया था जिसके स्थान पर अब नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को शहरी निकायों को अन्तरित होने वाले भाग में से क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अंश अन्तरित किया जायेगा । यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू होगा ।
55	**आडिट अनुशासन के लिए दस प्रतिशत अंतरण रोकना** वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु सभी नगरीय निकायों तथा पंचायतों के मध्य वितरित होने वाली धनराशि का	नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में आडिट भुगतान के लिये 10 प्रतिशत अन्तरण की धनराशि रोकने के

संस्तुति संख्या	आयोग की संस्तुति	राज्य सरकार का निर्णय
	दस प्रतिशत भाग रोकते हुए शेष उपर्युक्त मानक के आधार पर निकायों के मध्य वितरण किया जाये। उस रोकी गयी दस प्रतिशत धनराशि को भी उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर ही वितरित किया जायेगा, लेकिन उसके लिए वही निकाय पात्र होगी, जिसके द्वारा एक वर्ष पूर्व तक के अपने लेखों का आडिट करा दिया गया है। जैसे ही कोई निकाय निर्धारित आडिट एजेन्सी का आडिट प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देती है, उसे उसकी रोकी गई 10% धनराशि अवमुक्त कर दी जाए। 01 मार्च तक आडिट प्रमाण पत्र न प्राप्त होने पर रुकी हुई धनराशि अन्य पात्र निकायों के मध्य, उनके निर्धारित अंशों के अनुपात में, बाँट दी जाय। डिफाल्टर निकायों का 10% अंश उनके लिए लैप्स हो जायेगा। उदाहरण स्वरुप वर्ष 2015–16 के लिये निकायों के मध्य वितरण् करते समय वर्ष 2013–14 तक के लेखों का आडिट कराया जाना पात्रता की शर्त होगी। इस प्रकार लेखों के आडिट कराये जाने की अनिवार्यता लागू किये जाने से निकायों पर आडिट कराने का दबाव बढ़ेगा। किसी निकाय की बडी धनराशि आडिट न कराये जाने की वजह से रुक जाना उस निकाय की जनता आडिट न कराये जाने वाले पदाधिकारियों की कार्यक्षमता तथा निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। साथ ही राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि आडिट एजेन्सी की क्षमता ऐसी हो कि वे दिसम्बर माह तक निकायों का आडिट पूर्ण कर सकें। **(प्रस्तर 10.9.1 एवं 10.12.1)**	स्थान पर 5 प्रतिशत अन्तरण धनराशि रोकी जाय । संस्तुति में दी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी । यह संशो वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू होगा

लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2015

वित्त मंत्री

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 22 सा0 वित्त–18–8–2015–(925)–1100 प्रतियां ।